

परिशिष्ट-एक,
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | |
|-------------|----------|----------------|
| परीक्षा | - | 300 अंक |
| साक्षात्कार | - | 30 अंक |
| कुल | - | 330 अंक |
- (2) परीक्षा:-
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-
- प्रश्न पत्र
- प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300
- भाग 1 - छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान - 50 प्रश्न (100 अंक)
- भाग 2 - (क) संविधान एवं वृहद अधिनियम (Major Acts)
- (ख) लघु अधिनियम (Minor Acts) - 100 प्रश्न (200 अंक)
- कुल - 150 प्रश्न (300 अंक)**
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स और द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: -
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहाँ MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।
- (6) परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।
- (7) साक्षात्कार:- साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) चयन सूची:- उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□

**परिशिष्ट-दो,
“पाठ्यक्रम”**

भाग-1 सामान्य ज्ञान

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छ.ग. का योगदान।
3. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)
4. भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था, छ.ग. का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
5. भारत की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग, वन एवं कृषि। (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)
6. छ.ग. की जनजातियां, बोली, तीज, त्यौहार, नृत्य, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल (भारत एवं छ.ग. के संदर्भ में)
8. पर्यावरण।

Part-1 General Knowledge

1. History of India and Indian national movement.
2. History of Chhattisgarh and Contribution of Chhattisgarh in national movement.
3. Physical, Social and Economic geography of India. (With special reference to Chhattisgarh)
4. Constitution of India and Polity, Administrative structure of Chhattisgarh, Local Government of Chhattisgarh and Panchayati Raj.
5. Economy, Commerce, Industry, Forest and agriculture of India. (With special reference to Chhattisgarh)
6. Tribes, Special tradition, Teej and festival. Dance, archaeological and tourist centres of Chhattisgarh.
7. Current affair and sports (With reference to India and Chhattisgarh)
8. Environment.

Part-2 विधि

(क) संविधान एवं वृहद अधिनियम (Major Acts):-

1. भारत का संविधान – भाग 3-मौलिक अधिकार, भाग-4 राज्य के नीति एवं निर्देशक सिद्धान्त, भाग-5 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संघीय न्यायपालिका, राज्यपाल, राज्य विधान मण्डल, राज्य के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय।
2. भारतीय दंड संहिता, 1860 – संपूर्ण।
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – संपूर्ण।
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – संपूर्ण।

(ख) लघु अधिनियम (Minor Acts):-

1. छत्तीसगढ़ आनकारी अधिनियम, 1915 – संपूर्ण।
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 9, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13.
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम, 1989 – संपूर्ण।

4. स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – संपूर्ण।
5. आयुध अधिनियम, 1959 – संपूर्ण।
6. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 – संपूर्ण।
7. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 – संपूर्ण।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – संपूर्ण।
9. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय क्र. 3, 4 एवं 6.
10. छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 – संपूर्ण।
11. छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना (निवारण) अधिनियम, 2005 – संपूर्ण।
12. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 – संपूर्ण।
13. छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, 2005 – संपूर्ण।
14. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आदेश एवं नियम (आपराधिक), 2005.

Part 2 Law

(A) Major Acts:-

1. Constitution of India -Part-3 Fundamental Rights, Part-4 Directive Principles of State, Part-5 President and Vice-President, Union Judiciary, Governor, State Legislative, High Court in the State, Subordinate Courts.
2. Indian Penal Code, 1860 - Complete.
3. Criminal Procedure Code, 1973 - Complete.
4. Indian Evidence Act, 1872 - Complete.

(B) Minor Acts:-

1. Chhattisgarh Excise Act, 1915 - Complete.
2. Information Technology Act, 2000 - Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 9, Chapter 11, Chapter 12, Chapter 13.
3. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 - Complete.
4. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 - Complete.
5. Arms Act, 1959 - Complete.
6. Food Safety and standard Act 2006 - Complete.
7. Protection of Human Rights Act, 1993 - Complete.
8. Right to Information Act, 2005 - Complete.
9. The Legal Services Authorities Act, 1987 - Chapter 3, 4 & 6.
10. Chhattisgarh Shaikshaniik Sansthanoo mai Pratadana (Raging) Ka Pratishedh Adhiniam, 2001 - Complete.
11. Chhattisgarh Tonhi Pratadana (Nivaran) Adhiniam, 2005 - Complete.
12. Prevention of Unlawful Activities Act, 1967 - Complete.
13. Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniam, 2005 - Complete.
14. Chhattisgarh High Court Rules & Order (Criminal) 2005 - Complete.

□□□□□